

**फॉर्म एनएल-18-प्रावधान अनुसूची
प्रावधान**

	विवरण	30 सितंबर 2016 तक (₹ '000)	30 सितंबर 2015 तक (₹ '000)
1	अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व	424,14,92.43	499,38,83.06
2	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	51,28,51.95	-
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए रिजर्व	2,44,24.00	9,08,23.56
4	कराधान के लिए - आयकर (अग्रिम कर का शुद्ध)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए	-	-
6	लाभांश वितरण कर के लिए	-	-
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - ग्रेच्युटी - पेंशन	41,75,78.24 8,87,95.86 12,00,00.00	38,34,40.30 11,73,75.51 19,00,00.00
8	कम कारोबार के शेषों के लिए	-	-
	कुल	540,51,42.48	577,55,22.43

<https://www.ecgc.in>